तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य** **निर्णय** **दिनांक :02.04.2019** 1. वकील सरकार श्री लोकेन्द्र सिंह व वकील रेस्पोडेन्ट श्री शशिकान्त जोशी को गत पेशी पर सुना गया था। 2. राज्य सरकार की ओर से बहस में बतलाया गया है कि रेस्पोडेन्ट्स रामू, लिछमण पि0रतना को अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत घोषणा प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था किन्तु ऐसा घोषणा पत्र पेश नहीं होने पर अधिनियम की धारा 11 के तहत नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस की पालना में रामू, लिछमण ने घोषणा पत्र पेश किए थे। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी नोहर ने तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की तथा रामू के पास 104.05 बीघा कमाण्ड व 3.00 बीघा अनकमाण्ड, लिछमण के पास 48.15 बीघा कमाण्उड व 7 बीघा अनकमाण्ड भूमि पाई गई थी तथा रामू के परिवार में 03 ईकाई की तुलना में 104.5 बीघा कमाण्ड एवं लिछमण के परिवार में 03 ईकाई की तुलना में 55.15 बीघा भूमि कमाण्ड को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानकर कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया गया था। दिनांक 31–12–99 के उपखण्ड अधिकारी के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने प्रथम अपील अपर जिला कलेक्टर नोहर के यहां पेश की, जिसे अवैधानिक रीति से खारिज कर दिया गया। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया कि निर्णय पारित करने से पूर्व परिवार के सदस्यों की संख्या एवं इकाईयों बाबत जांच किया जाना नितान्त आवश्यक होता है। केवलमात्र घोषणा पत्र के आधार पर मौजूदा केस में परिवार के सदस्यों की संख्या एवं इकाईयों का निर्धारण अवैधानिक रूप से किया गया है। अपर जिला कलेक्टर ने भूमिधारी के द्वारा धारित भूमि की विस्तृत जांच नहीं की तथा केवलमात्र तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है। इसलिए प्रश्नगत दोनों निर्णय काबिले अपास्त हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत आराजीयात को बहक सरकार रिज्यूम किया जाए।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त दलीलों का विरोध किया व आक्षेपित दोनों निर्णय प्रत्येक बिन्दु पर विधिवत एवं एकमत होने से यह द्वितीय अपील खारिज करने का निवेदन किया है। 4. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। 5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय रेस्पोडेन्ट्स के घोषणा पत्र के आधार पर नहीं किया है बल्कि तहसील उपनिवेशन से रिपोर्ट प्राप्त करके किया है। पहले उसकी रिपोर्ट अधूरी व अस्पष्ट पाई गई थी फिर तहसीलदार रावतसर से पुनः रिपोर्ट तलब की गई थी। 6. उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय में यह पाया है कि दिनांक 6–4–1973 को रामू के परिवार में तीन इकाईयों की तुलना में 104 बीघा 5 बिस्वा कमाण्ड भूमि व लिछमण के परिवार में तीन इकाईयों की तुलना में 55 बीघा 15 बिस्वा कमाण्ड भूमियां थी। यह भूमियां राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के प्रावधानुसार कम थी। इसलिए सीलिंग की कार्यवाही बन्द की गई थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षो की अपने निर्णय में पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में तथ्यों एवं विधि संबंधी कोई त्रुटि नहीं है। प्रकरण का निस्तारण राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट प्राप्त करके किया गया है। इसके अलावा अन्य किस प्रकार की जांच की जा सकती थी, इसका कोई उल्लेख मीमों आफ अपील में नहीं किया गया है। अपीलांट की ओर से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि रेस्पोडेन्ट्स के परिवार की इकाई इससे कम हो या इससे अधिक भूमि रेस्पोडेन्ट्स के धारण में हो। अतः इस द्वितीय अपील में विधि का कोई प्रश्न निहित नहीं है। 7. लिहाजा अपील खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। **(राजेन्द्र कुमार)** **सदस्य**	